



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29122020-223988
CG-DL-E-29122020-223988

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4145]
No. 4145]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 28, 2020/पोष 7, 1942
NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 28, 2020/PAUSHA 7, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4728(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.3959 (अ) दिनांक 03.11.2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा असम राज्य के सोनितपुर जिले में डोलबारी से जामगुरी के NH-37A से NH-52 के कि.मी. 17.300 से कि.मी.182.000 को जोड़ता है (कार्यालय उपायुक्त सोनितपुर, तेजपुर, असम) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 05 नवंबर, 2020 को "द असम ट्रिब्यून" और तारीख 05 नवंबर, 2020 को "असमिया प्रतिदिन" में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

असम राज्य के सोनितपुर जिले में डोलबारी से जामगुरी के NH-37A से NH-52 के कि.मी. 17.300 से कि.मी.182.000 को जोड़ता है (कार्यालय उपायुक्त सोनितपुर, तेजपुर, असम) के लिए अर्जन की जाने वाली भूमि का संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: असम			जिले का नाम: सोनितपुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: नादुआर				
	गांव का नाम: बोरमाता				
1	39/18	निजी	लहि	0.485	1. श्रीमति द्रोण कुमारी सितोला पत्नी बिष्णु 2. "श्रीमति अमची ओरंग पत्नी सेनीराम ()
2	4/Govt.	सरकारी	सरकारी (रोड)	0.032	सरकारी (सड़क) ()
3	40/18	निजी	साली	0.076	1. श्री समरा ओरंग अभिभावक- रूपा 2. "श्रीमति मामोनी ओरंग अभिभावक- सानी "3 श्रीमति द्रोण कुमारी सितोला पत्नी बिष्णु ()
4	41/157	निजी	लहि	0.128	1. श्री संजय कुमार थापा अभिभावक- बोल बहादुर ()
5	42/29	निजी	लहि	0.094	1. श्री बिरसा मुरा अभिभावक- नाथू ()
6	45/94	निजी	लहि	0.064	1. श्री बिष्णु लाल शर्मा अभिभावक- नोरपटी "2 . श्री गोपाल कृष्ण पाठक अभिभावक- राम चंद्र 3. "श्री खेम प्रसाद पाठक अभिभावक- राम चंद्र 4. * श्री देवी प्रसाद पाठक अभिभावक- राम चंद्र 5. श्री खगेन प्रसाद पाठक अभिभावक- राम चंद्र 6. श्रीमती टीका

					माया देवी पत्नी राम चंद्र 7. श्री हन्ना टोपनो पत्नी मार्कोस ()
7	46/112	निजी	लहि	0.42	1. श्री बिजुमोनी परसाई अभिभावक- चंद्र मोनी 2. "श्री रिजु मोनी परसाई अभिभावक- चंद्र मोनी ()
गांव का नाम: पानीगांव					
8	1 / Govt	सरकारी	नो क्लास रोड साइड	0.005	सरकारी ()
9	2 / 12	निजी	बारी	0.004	1. श्री पीताम्बर गौतम अभिभावक: स्वर्गीय कर्णखोर 2. "श्री हरि प्रसाद गौतम अभिभावक: स्वर्गीय कर्णखोर 2. "श्री श्याम राज गौतम अभिभावक: स्वर्गीय बेदोनीधी 4. श्री नारायण गौतम अभिभावक: स्वर्गीय भीम प्रसाद गौतम 5. श्री हेमंत गौतम अभिभावक: स्वर्गीय भीम प्रसाद गौतम " 6. श्री गंगा गौतम अभिभावक: स्वर्गीय दुर्गा गौतम 7. श्री भवन गौतम अभिभावक: स्वर्गीय दुर्गा गौतम ()
10	326 / Govt.	सरकारी	लहि	0.3641	सरकारी ()
11	328/ Govt.	सरकारी	लहि	0.296	सरकारी ()
12	329/ Govt.	सरकारी	लहि	0.0963	सरकारी ()
13	334/Govt.	सरकारी	लहि	0.4364	सरकारी ()
14	645 / Govt.	सरकारी	रोड (नो क्लास)	0.048	सरकारी ()
गांव का नाम: तोभांगा					
15	196/Govt.	सरकारी	लहि	0.293	सरकारी ()
16	197/106	निजी	लहि	0.032	श्री पानपुर मिरी पुत्र पंडी ()
17	200/80	निजी	साली	0.136	श्री नरमाया पाठक पुत्र लैसमैन ()
18	201/11	निजी	साली	0.318	श्री रामप्रसाद पाण्डेय पुत्र दधीराम "श्री गणेश पारे पुत्र तरनिधि "श्री दीपक पारे पुत्र तरनिधि "श्री तिलक पारे पुत्र तरनिधि "श्री कृष्ण पारे पुत्र तरनिधि "श्री

					गीता देवी पत्नी तरानिधि "श्री पुण्य देवी पुत्र तरानिधि (0)
			कुल	3.3278	

[फा. सं. 50009/LA/D-J/NHIDCL/Tez/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2020

S.O. 4728(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **3A vide SO 3959(E) dated 03.11.2020**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification **for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of Connecting from Dolabari to Jamuguri from NH-37A to NH-52 on the stretch of land from Km 17.300 to Km 182.000 (Office of the Deputy Commissioner Sonitpur, Tezpur, Assam) in the district of SONITPUR in the state of ASSAM**

And whereas the substance of the said notification has been published in "**The Assam Tribune**" dated **05.11.2020** and "**Asomiya Pratidin**" dated **05.11.2020**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within Connecting from Dolabari to Jamuguri from NH-37A to NH-52 on the stretch of land from Km 17.300 to Km 182.000 (Office of the Deputy Commissioner Sonitpur, Tezpur, Assam) in the district of SONITPUR in the state of ASSAM

State: ASSAM			District: SONITPUR		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No:
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Naduar				
	Viilage: Bormata				
1	39/18	Private	Lahi	0.485	1.Srimati Dron Kumari Sitola W/o: Bishnu 2. Srimati Amchi Orang W/o: Seniram
2	4/Govt.	Government	Govt. (Road)	0.032	Govt. (Road)
3	40/18	Private	Sali	0.076	1. Sri Samra Orang C/o: Rupna 2. Srimati Mamoni Orang C/o: Sani 3

					Srimati Dron Kumari Sitola W/o: Bishnu
4	41/157	Private	Lahi	0.128	1. Sri Sanjoy Kumar Thapa C/o: Bol Bahadur
5	42/29	Private	Lahi	0.094	1. Sri Birsa Mura C/o: Nathu
6	45/94	Private	Lahi	0.064	1. Sri Bishnu Lal Sharma C/o: Norpati 2/ Sri Gopal Krishna Pathak C/o: Ram Chandra 3. Sri Khem Prasad Pathak C/o: Ram Chandra 4. Sri Devi Prasad Pathak C/o: Ram Chandra 5. Sri Khagen Prasad Pathak C/o: Ram Chandra 6. Srimati Tika Maya Devi W/o: Ram Chandra 7. Sri Hanna Topno W/o: Markos
7	46/112	Private	Lahi	0.42	1. Sri Bijumoni Parsai C/o: Chandra Moni 2. Sri Riju Moni Parsai C/o: Chandra Moni
	Village: Panigaon				
8	1 / Govt	Government	No Class (Road Side)	0.005	Govt. of Assam
9	2 / 12	Private	Bari	0.004	1. Sri Pitambar Goutam C/o: Late Karnakhor 2. Sri Hari Prasad Goutam C/o: Late Karnakhor 3. Sri Shyam Raj Goutam C/o: Late Bedonidhi 4. Sri Narayan Goutam C/o: Late Bhim Prasad Goutam 5. Sri Hemanta Goutam C/o: Late Bhim Prasad Goutam 6. Sri Ganga Goutam C/o: Late Durga Goutam 7. Sri Bhaban Goutam C/o: Late Durga Goutam
10	326 / Govt.	Government	Lahi	0.3641	Govt. of Assam
11	328/ Govt.	Government	Lahi	0.296	Govt. of Assam
12	329/ Govt.	Government	Lahi	0.0963	Govt. of Assam
13	334/ Govt.	Government	Lahi	0.4364	Govt. of Assam
14	645 / Govt.	Government	Road (No Class)	0.048	Govt. of Assam
	Village: Toubhanga				
15	196/ Govt.	Government	Lahi	0.293	Govt. of Assam
16	197/106	Private	Lahi	0.032	Sri Panpur Miri S/O Pandi
17	200/80	Private	Sali	0.136	Sri Naramaya Pathak S/O Lasman
18	201/11	Private	Sali	0.318	Sri Ramprasad Pandey S/O Dadhiram Sri Ganesh Pare S/O Taranidhi Sri Dipak Pare S/O Taranidhi Sri Tilak Pare S/O Taranidhi Sri Krishna Pare S/O Taranidhi Sri Gita Devi W/O Taranidhi Sri Punya Devi S/O Taranidhi

	TOTAL	3.3278	
--	--------------	---------------	--

[F. No. 50009/LA/D-J/NHIDCL/Tez/3D]

RAJESH GUPTA, Director